

**राजस्थान सरकार**  
**स्वायत्त शासन विभाग, राज, जयपुर**  
 वै-३ लज्जहत रेलीवेन्यू एवं लिंग लाइन काटक के पाल चौ-लौली, जयपुर 302005  
 फ़ोन: ०१४१-२२०६७२२, वेबसाईट: [www.cmar-india.org](http://www.cmar-india.org), ई-मेल: [dlbrajeshan@gmail.com](mailto:dlbrajeshan@gmail.com)

क्रमांक एफ 2(घ)(निल.)आरएमएस-जांच/डीएलबी/18/1362 दिनांक : २८/५/१८

आदेश

पुलिस अधीक्षक-प्रथम, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, जयपुर के पत्र क्रमांक भ्रनिब/अशा/३/८१६-१८ दिनांक ०७.०५.१८ के अनुसार श्री अमजद खान, सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, कोटा को परिवादी श्री शरद चतुर्वेदी निवासी २५, शिवाजी कालोनी, गली नं.१ बाड़ नं. ३६, रेलवे कालोनी के पास, कोटा से रु. ७,०००/- (अक्षरे सात हजार रुपये) की मांग कर उक्त राशि प्राप्त करने पर भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, कोटा द्वारा दिनांक ०४.०५.१८ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा कर न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है। व्यूरो द्वारा इनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. १०९/२०१८ पंजीबद्ध की गयी है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि आरोपी श्री अमजद खान, सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, कोटा ४८ घण्टे से अधिक अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं, अतः भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, राजस्थान जयपुर द्वारा निलम्बन एवं इनके मुख्यालय परिवर्तन हेतु की गयी अनुशंशा दिनांक ०७.०५.१८ को दृष्टिगत रूप से हुए, कार्मिक(क-३) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.२ (१५७)कार्मिक/क-३/९७ जयपुर, दिनांक ०७ जुलाई, २०१० में दिये गये निर्देशों एवं राजस्थान सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, १९५८ के नियम-१३ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अमजद खान, सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, कोटा को भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में लेने की दिनांक ०४.०५.१८ से ही एतद् द्वारा निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में इन का मुख्यालय निदेशालय में रहेगा तथा इनको नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर निगम, कोटा से किया जावेगा।

(पवन ओडा)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ 2(घ)(निल.)आरएमएस-जांच/डीएलबी/18/1363-1374 दिनांक : २८/५/१८

- प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
१. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
  २. निजी सहायक, २११८८८ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
  ३. जिला कलेक्टर, कोटा।
  ४. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्रनिब/अशा/३/८१६-१८ दिनांक ०७.०५.१८ के कम में प्रेषित है।
  ५. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
  ६. महापौर/आयुक्त, नगर निगम, कोटा।
  ७. श्री अमजद खान, सहायक अग्निशमन अधिकारी, मार्फत आयुक्त, नगर निगम, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आदेश तामील करवा कर प्राप्ति रसीद भिजवावें।
  ८. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
  ९. उप निदेशक-आईटी, निदेशालय को विभाग की वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
  १०. संस्थापन अनुभाग-एसएमई, निदेशालय।
  ११. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीना)  
अतिरिक्त निदेशक